



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ 1942 (श0)

(सं0 पटना 342) पटना, सोमवार, 08 जून 2020

कृषि विभाग

अधिसूचना

1 जून 2020

सं0. 01/पौ0सं0स्था0 कार्य0 एवं दायित्व 211/20-345/कृ0—कृषि विभाग बिहार के विभागीय अधिसूचना संख्या—3105 दिनांक 31.07.2014 के द्वारा कनीय पौधा संरक्षण, पदाधिकारी का पदनाम सम्परिवर्तित कर सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण कर दिया गया है। वर्तमान में पदाधिकारियों के पदनाम में सम्परिवर्तन तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 में समय-समय पर हुए संशोधनों के कारण पदाधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों का नये सिरे से निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी संदर्भ में जिलों में कार्यरत सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण निम्नवत किया जाता है।

जिला स्तरीय सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण का कार्य एवं दायित्व

1. जिला स्तर पर सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, [बिहार कृषि सेवा कोटि-05 (पौधा संरक्षण)] के तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते जिला में पौधा संरक्षण की सभी योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं समय-समय पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
2. जिला कृषि पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करना एवं कीटनाशी अनुज्ञप्ति निर्गत करने में नियमानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
3. जिला में कीटनाशियों के छिड़काव, भुड़काव एवं उपचार आदि से संबंधित राजस्व संग्रह निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करना।
4. जिला कृषि पदाधिकारी/प्रमंडलीय उप निदेशक, पौधा संरक्षण/संयुक्त निदेशक (शष्प)/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना की मासिक बैठक में भाग लेना।
5. प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक पौधा संरक्षण के योजनाओं एवं कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन राज्य स्तर पर संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना, प्रमण्डल स्तर पर उप निदेशक, पौधा संरक्षण एवं जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
6. जिला अंतर्गत खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम के अलावे अनाज, दलहन, तेलहन एवं उद्यानिक फसल यथा फल फूल, सब्जी आदि फसलों में लगने वाले कीट/व्याधि क्षेत्र का सघन पर्यवेक्षण करना तथा सफल प्रबन्धन हेतु उचित सलाह देना एवं इस संबंध में विभाग को अवगत कराना।
7. जिला अंतर्गत पौधा संरक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण, संचालन तथा निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। प्रत्येक माह कम से कम औसतन तीन प्रखण्डों के पौधा संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

8. जिला अन्तर्गत सभी कीटनाशी विपणन प्रतिष्ठानों एवं विनिर्माण ईकाइयों का नियमित निरीक्षण करना एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। कीटनाशी गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कृषकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कीटनाशी विपणन प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण/छापामारी करना एवं नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करना।
9. अधिसूचित सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कीटनाशी अधिनियम 1968 के विभिन्न धाराओं, कीटनाशी नियमावली 1971 (समय-समय पर यथा संशोधित) के विभिन्न नियमों एवं कीटनाशी आदेश 1986 के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी निरीक्षक के रूप में कार्य करना।
10. जिला में रसायनिक एवं जैव कीटनाशियों के गुणवत्ता बनाये रखने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नमूना संग्रह कर जाँच हेतु संबंधित प्रयोगशाला में भेजना। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कीटनाशी अधिनियम 1968, कीटनाशी नियमावली 1971 एवं कीटनाशी आदेश 1986 के आलोक में वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करना।
11. जिला में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के सहयोग से समय-समय पर कृषि विभाग के कर्मों, किसान एवं कीटनाशी विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
12. जिला अंतर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों का निरीक्षण करना एवं कीट/व्याधि के सफल प्रबंधन हेतु उचित सलाह देना।
13. जिला में क्रियान्वित प्रत्यक्षणों का निरीक्षण करना एवं संबंधित पदाधिकारी को निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत किसान सलाहकार, पौधा संरक्षण कर्मों, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर विभागीय योजनाओं एवं कार्यों को सुचारु रूप से सम्पन्न कराना।
14. समेकित कीट प्रबंधन (आई0पी0एम0) के तहत फसलों में लगने वाले कीट व्याधि का प्रबंधन करना एवं इस संबंध में कृषकों को आई0पी0एम0 अपनाने हेतु प्रचार-प्रसार करना एवं कीट/व्याधियों के प्रबंधन हेतु कीटनाशी रसायनों का उपयोग तर्कसंगत तरीके से कीटनाशी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किया जाना।
15. राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए जैविक कीटनाशी के प्रयोग पर बल देना एवं जैविक खेती अपनाने हेतु कृषकों के बीच प्रचार-प्रसार करना।
16. जिला में विपणन हो रहे जैविक उत्पादों एवं सब्जी, फल आदि में कीटनाशी अवशेष की जाँच के लिए नमूना संग्रह कर प्रयोगशाला में Pesticide Residue Analysis (कीटनाशी अवशेष जाँच) हेतु भेजना।
17. जिला अन्तर्गत विभिन्न फसलों में लगने वाले Pest & disease Vulnerability map (नाशीजीव एवं व्याधि भेद्यता मानचित्र) तैयार करना तथा Pest & disease Surveillance (कीट-व्याधि सर्वेक्षण) की गतिविधि सम्बन्धी कार्य करना।
18. समय-समय पर विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 342-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>